न्यायालय सहायक कलक्टर, भीलवाडा

पीठासीन अधिकारीः अरूण कुमार जैन, आर.ए.एस.

राजस्व मूल वाद संख्या :-59/2022

जीसीएमएस नम्बर :- 16109/2022

1. नीलकंठ महादेव वाके ग्राम पुर तहसील व जिला भीलवाड़ा।
2. श्री गणेश जी वाके ग्राम कचहरी पुर तहसील व जिला भीलवाड़ा जरिये प्रतिनिधि-
3. श्री नीलकंठ महादेव एवम् गणेशजी सार्वजनिक ट्रस्ट द्वारा अध्यक्ष मुरलीधर पिता कन्हैयालाल व्यास उम्र वयस्क निवासी बस स्टेण्ड के पास पुर तहसील व जिला भीलवाडा।
4. प्रहलादराय पिता रामचंद्र पारीक उम्र वयस्क निवासी हॉस्पीट्ल रोड़ पुर तहसील व जिला भीलवाड़ा (तत्कालीन सचिव हाल ट्रस्टी)

----वादीगण

-: बनाम :-

1. चुन्नीलाल पिता गोपीलाल माली उम्र वयस्क निवासी वार्ड नं0 36 पुर तहसील व जिला भीलवाड़ा।
2. जगदीश पिता नन्दराम माली उम्र वयस्क निवासी वार्ड नं0 36 पुर तहसील व जिला भीलवाड़ा।
3. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार भीलवाड़ा।

----प्रतिवादीगण

वाद अंतर्गत धारा 183 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

उपस्थित-

1. श्री भैरूलाल बापना अभिभाषक वादीगण।
2. श्री जगदीशचन्द्र दाधीच अभिभाषक प्रतिवादी 1 व 2

2/1/2026

सहायक कलक्टर
भीलवाड़ा

-: निर्णय :-

दिनांक 02/1/2026

वादीगण की ओर से अधिवक्ता जरिये अधिवक्ता इस न्यायालय के समक्ष दिनांक 09.09.2022 को एक दावा अन्तर्गत धारा 183 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 विरूद्ध प्रतिवादीगण प्रस्तुत किया गया जो रिपोर्ट उपरान्त वाद संख्या 59/2022 बउनवानी श्री नीलकंठ महादेव वगैरह बनाम चुन्नीलाल वगैरह दर्ज रजिस्टर कर विधिक प्रक्रिया प्रारम्भ की गई।

वादीगण ने अपने वाद पत्र में इस आशय का कथन किया कि- उपरोक्त उनवानी प्रकरण में वादी संख्या 1 व 2 शाश्वत नाबालिग मन्दिर मूर्ति होकर वादी संख्या 3 व 4 प्रतिनिधि/अध्यक्ष/ट्रस्टी की ओर से यह नियमित राजस्व वाद काश्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा 183 के तहत दीवानी प्रक्रिया संहिता आदेश 1 नियम 8 के अन्तर्गत प्रतिवादीगण के विरूद्ध प्रस्तुत कर निवेदन है कि-

उपरोक्त उनवान प्रकरण में वादी संख्या 1 व 2 जो शाश्वत नाबालिग मन्दिर मूर्ति है जिनकी सेवा-पूजा, व्यवस्था व जायदाद की संरक्षता के लिए सार्वजनीन प्रन्यास राजस्थान अधिनियम, 1959 (1959 का 42) के अधीन सहायक देवस्थान आयुक्त, उदयपुर व कोटा खण्ड उदयपुर द्वारा दिनांक 17.12.1976 को वादी संख्या 1 के पख में ट्रस्ट कायम कर प्रमाण पत्र जारी किया गया तथा ट्रस्टी प्रमाण पत्र सर्वाजनीन प्रन्यास के रजिस्टर संख्या 235 पर पंजीकृत होकर पंजीयन नम्बर 2/75 है, पुष्टि में प्रमाण पत्र की छायाप्रति वाद पत्र के साथ संलग्न की जा रही है।

राजस्व ग्राम पुर, तहसील व जिला भीलवाड़ा में स्थित साबिक आराजी खसरा नम्बर 4383 व 4384 जिसके नवीन बन्दोबश्त आराजी खसरा संख्या 1599 एवं 1600 कायम किये जाकर वादी संख्या 1 व 2 मन्दिर मूर्ति नीलकंठ महादेव एवं गणेश जी महाराज मूर्ति के खातेदारी में दर्ज किया गया।

उक्त वादग्रस्त आराजी के संबंध में प्रतिवादी संख्या 1 व 2 की ओर से एक नियमित राजस्व वाद काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 88 व 92(क) के अन्तर्गत न्यायालय उपखण्ड अधिकारी पदेन सहायक कलक्टर, भीलवाड़ा के यहां प्रस्तुत कर यह अनुरोध किया कि ग्राम पुर, तहसील व जिला भीलवाड़ा में स्थित साबिक आराजी संख्या 4383 व 4384 लोभा पिता बोयत माली की खडमदार की हैसियत से खातेदारी की आराजी थी। नवीन बन्दोबश्त में उक्त आराजी के नवीन खसरा नम्बर 1599 एवं 1600 कायम करते हुए मन्दिर मूर्ति नीलकंठ महादेव एवं गणेश जी महाराज वादी संख्या 1 व 2 के खातेदारी में दर्ज कर दिया जबकि उक्त आराजीयात वादी के खातेदारी की आराजी है।

2/1/2026

सहायक कलक्टर
भीलवाड़ा

वाद पत्र की कलम नम्बर 2 में अंकित आराजीयात जिसके लिए वादी को खातेदार कृषक घोषित कराया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये स्थायी निषेधाज्ञा से पाबन्द कराया जावे। न्यायालय उपखण्ड अधिकारी पदेन सहायक कलक्टर, भीलवाड़ा ने प्रकरण पंजीबद्ध किया जाकर बाद सुनवाई पक्षकारान के प्रकरण में गुणावगुण पर विचार करते हुए दावा वादी दिनांक 25.11.2004 को खारिज किया गया।

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी पदेन सहायक कलक्टर, भीलवाड़ा के निर्णय व डिक्री दिनांक 25.11.2004 के विरूद्ध प्रतिवादी संख्या 1 व 2 की ओर से प्रथम अपील भूप्रबन्ध अधिकारी पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी, भीलवाड़ा के न्यायालय में प्रस्तुत की गई। अपील न्यायालय में प्रस्तुत अपील प्रकरण संख्या 311/2004 पर पंजीबद्ध किया जाकर बाद सुनवाई पक्षकारान के प्रतिवादी संख्या 1 व 2 की ओर से प्रस्तुत प्रथम अपील दिनांक 21.02.2008 को अपील न्यायालय ने गुणावगुणो पर विचार करते हुए अपील अपीलार्थी अस्वीकार की गई।

प्रथम अपील न्यायालय के प्रकरण संख्या 311/2004 निर्णय दिनांक 21.02.2008 से प्रतिवादी संख्या 1 व 2 की ओर से प्रस्तुत अपील खारिज होने पर प्रतिवादी संख्या 1 व 2 ने द्वितीय अपील न्यायालय राजस्व मण्डल राजस्थान, अजमेर में प्रस्तुत की गई। प्रस्तुत द्वितीय अपील मण्डल ने अपील डिक्री/टीए/2380/भीलवाड़ा पर संस्थित की गई। मण्डल में अपील संस्थित होने के पश्चात न्यायालय राजस्व मण्डल राजस्थान अजमेर ने पक्षकारान् की सुनवाई की जाकर दिनांक 08.03.2021 को प्रतिवादी संख्या 1 व 2 की ओर से प्रस्तुत द्वितीय अपील अस्वीकार कर अपने आदेश में यह उल्लेख किया कि–

"पत्रावली में उपलब्ध जमाबन्दी संवत् 2049 से 2052 (नवीन खसरा संख्या 1599 व 1600) मूर्ति मन्दिर नीलकंठ महादेव जी, गणेश जी के खातेदारी में दर्ज है तथा गोपी पिता लोभा माली खड़मदार दर्ज है, काश्तकारी अधिनियम की धारा 15 के अनुसार खडमदार उसी हालत में भूमि का खातेदार बनेगा जब अधिनियम प्रभावशील होने के पहले से विवादित भूमि उसकी टिनेन्सी में थी। जहां राजस्व अभिलेख में मूर्ति मन्दिर एवं दोनों का नाम अंकित है वहां खडमदार को कोई अधिकार प्राप्त नहीं होगे।"

माननीय न्यायालय राजस्व मण्डल राजस्थान अजमेर ने अपने निर्णय में यह भी उल्लेख किया कि–

"कानून माल मेवाड़ 1947 की धारा 38 के अनुसार जब जमीन व्यक्तिगत रूप से खडमदार की है तो उसको उत्तराधिकार व बेचने का पूरा अधिकार है लेकिन मन्दिर मूर्ति के खडमदार को यह अधिकार नहीं है। इस प्रकार स्थिति स्पष्ट है कि मूर्ति मन्दिर के खडमदार को व्यक्तिगत खातेदारी अधिकार प्राप्त नहीं हो सकते है।" और प्रतिवादी संख्या 1 व 2 की ओर से प्रस्तुत द्वितीय अपील दिनांक 08.03.2021 को अस्वीकार कर दिया गया।

2/01/2026

सहायक कलक्टर
भीलवाड़ा

प्रतिवादी संख्या 1 व 2 की ओर से वादी संख्या 1 व 2 के खातेदारी की आराजी वाके ग्राम पुर तहसील व जिला भीलवाड़ा में स्थित साबिक खसरा संख्या 4383 व 4384 जिसके नवीन खसरा संख्या 1599 व 1600 जो वादी संख्या 1 व 2 के खातेदारी की कृषि आराजी है और इस पर प्रतिवादी संख्या 1 व 2 ने अपने बाहुबल से भौतिक रूप से काबिज होकर उपयोग उपभोग करते चले आ रहे है जिनका उन्हें कोई विधिक अधिकार नहीं होकर प्रतिवादी संख्या 1 व 2 वादी संख्या 1 व 2 के खातेदारी की भूमि पर अतिक्रमी की हैसियत से काबिज होकर उपयोग उपभोग करते चले आ रहे है जिन्हें अतिक्रमी घोषित कराये जाकर भूमि निजाई का कब्जा वादी संख्या 1 व 2 के संबंध में देवस्थान विभिाग उदयपुर द्वारा कायम किये गये ट्रस्टी एवं अध्यक्ष को सिपुर्द कराया जाना आवश्यक व न्यायोचित है।

तथाकथित द्वितीय अपील निस्तारण की जानकारी पूर्व में वादी/प्रार्थीगण को नहीं थी दिनांक 15.03.2022 को तथाकथित निर्णय की जानकारी होने पर उसी दिन प्रतिलिपि हेतु आवेदन प्रस्तुत किया गया। जिस पर दिनांक 16.03.2022 को प्रतिलिपि उपलब्ध हुई। प्रतिलिपि उपलब्ध होने की दिनांक 16.03.2022 से बिनायवाद उत्पन्न होकर निरन्तर जारी है तथा तारीख जानकारी के अनुसार यह नियमित राजस्व वाद माननीय न्यायालय के समक्ष अन्दर अवधि प्रस्तुत किया जा रहा है।

प्रस्तुत वाद पत्र माननीय न्यायालय के क्षेत्राधिकार/श्रवणाधिकार में होकर पूर्ण कोर्ट फीस पर प्रस्तुत है।

वाद पत्र में प्रतिवादी संख्या 3 राज्य सरकार की ओर से लैण्ड हॉल्डर तहसीलदार, भीलवाड़ा को प्रतिवादी पक्षकार के रूप में संयोजित किया गया है, तहसीलदार भीलवाड़ा के विरूद्ध प्रकरण में कोई अनुतोष नहीं चाहा गया, केवल कानून को रफा करने व तहसीलदार भू-स्वामी होने से प्रतिवादी पक्षकार के रू॰ में संयोजित किया गया है।

प्रतिवादीगण को सूचना प्रेषित करने के लिए वाद पत्र के अलावा वाद पत्र की अतिरिक्त प्रतियो के साथ सम्मन प्रोसर्स प्रस्तुत है।

अनुतोष-

अतः वादीगण की ओर से प्रस्तुत नियमित राजस्व वाद काश्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा 183 का स्वीकार कराया जाकर डिक्री बहक वादीगण खिलाफ प्रतिवादी संख्या 1 व 2 के इस आशय की जारी कराना फरमावे कि ग्राम पुर, तहसील व जिला भीलवाड़ा में स्थित नवीन बन्दोबश्त आराजी खसरा संख्या 1599 व 1600 जिस पर प्रतिवादी संख्या 1 व 2 अतिक्रमी की हैसियत से काबिज होकर काश्त करते हुए उपयोग उपभोग करते चले आ रहे है, जिन्हें अतिक्रमी घोषित किये जाकर बेदखल कराते हुए कब्जा वादी संख्या 1 के ट्रस्टी/अध्यक्ष व तत्कालीन सचिव हाल ट्रस्टी वादी संख्या

10/2/26
सहायक कलक्टर
भीलवाड़ा

2 व 3 को सिपुर्द कराया जावे साथ ही वादग्रस्त आराजी भूभाग के भू-राजस्व के 15 गुणा राशि शास्ति स्वरूप प्रतिवर्ष के हिसाब से प्रतिवादी संख्या 1 व 2 ने न्यायालय उपखण्ड अधिकारी पदेन सहायक कलक्टर भीलवाड़ा के न्यायालय में प्रस्तुत वाद पत्र में जिस वर्ष से विवादित आराजी भूभाग पर काबिज होकर काश्त करते हुए उपयोग उपभोग करना बताया है, उस वर्ष से लगायत कब्जा वादी/प्रार्थीगण को सिपुर्द होने तक की अवधि के लिए शास्ति आरोपित की जाकर भुगतान कराने के आदेश प्रदान कराया जावे। अन्य दाद जो मुफिद हो दिलाई जावे। वादीगण की ओर से अपने वाद पत्र का सत्यापन किया गया।

न्यायालय द्वारा दिनांक 16.09.2022 को वाद दर्ज रजिस्टर कर प्रतिवादीगण की तलबी जरिये तलबाना अनुसार जारी करने के आदेश पारित किये गये। दिनांक 11.11.2022 को प्रतिवादी संख्या 1 व 2 की ओर से अधिवक्ता श्री जगदीशचन्द्र दाधीच ने वकालतनामा पेश किया जो शामिल मिसल है। दिनांक 22.04.2025 को वादी संख्या 1 से 3 की ओर से अधिवक्ता श्री भैरूलाल बाफना द्वारा वकालतनामा पेश किया गया जो शामिल मिसल है।

दिनांक 15.07.2025 को आदेश 8 नियम 1 सी0पी0सी0 के प्रावधानो के अनुसरण में प्रतिवादी संख्या 1 व 2 का जवाब बन्द करने के आदेश प्रदान किये गये और प्रकरण में आगामी पेशी वास्ते साक्ष्य वादी हेतु नियत की गई।

वादीगण की ओर से दिनांक 10.09.2025 को **मौखिक साक्ष्य में** मुरलीधर पिता कन्हैयालाल का शपथ पत्र पेश किया गया तथा उक्त साक्षी का मुख्य परीक्षण करवाया गया तथा **दस्तावेजी साक्ष्य में** निम्नलिखित दस्तावेजात् प्रदर्शित करवाये गये-

प्रदर्श-1 फोटोप्रति कार्यालय सहायक आयुक्त देवस्थान विभाग, अजमेर द्वारा जारी पत्र क्रमांक/ट्रस्ट/देव/2022-23/2102 दिनांक 16.09.2022 विषय- प्रन्यास का अंकेक्षित आय-व्यय का ब्यौरा भिजवाने बाबत्।

प्रदर्श-2 फोटोप्रति सार्वजनिक प्रन्यास श्री नीलकण्ठ महादेवजी, पुर (भीलवाड़ा) (देवस्थान विभाग द्वारा मान्यता प्राप्त) (पंजीयन क्रमांक 2/75 द्वारा श्रीमान् सहायक आयुक्त, देवस्थान विभाग, अजमेर को प्रेषित पत्र दिनांक 03.07.2023 बाबत् प्रन्यास अंकेक्षित आय-व्यय का ब्यौरा प्रेषित करने बाबत्।

प्रदर्श-3 फोटोप्रति सार्वजनिक प्रन्यास से श्री नीलकण्ठ महादेवजी, पुर के कार्यकारिणी की सूची दिनांकित 03.07.2023

प्रदर्श-4 फोटोप्रति सार्वजनिक प्रन्यास श्री नीलकण्ठ महादेवजी, पुर के ट्रस्टीगण की सूची दिनांकित 03.07.2023

प्रदर्श-5 ऑन लाईन प्रमाणित प्रतिलिपि जमाबन्दी संवत् 2069-2073 ग्राम पुर खाता संख्या नया 1252 पुराना 1132

22/01/2026
सहायक कलक्टर
भीलवाड़ा

प्रदर्श-6 प्रमाणित प्रतिलिपि माननीय राजस्व मण्डल राजस्थान, अजमेर द्वारा अपील डिक्री/टीए/2380/2008 बउनवानी चुन्नीलाल वगैरह बनाम राजस्थान सरकार व अन्य में पारित निर्णय दिनांक 08.03.2021

प्रदर्श-7 प्रमाणित प्रतिलिपि न्यायालय भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी, भीलवाड़ा द्वारा अपील संख्या टीए/311/2004 बउनवानी चुन्नीलाल बनाम राजस्थान सरकार वगैरह में पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 21.02.2008

प्रदर्श-8 प्रमाणित प्रतिलिपि सहायक आयुक्त, देवस्थान विभाग, उदयपुर द्वारा जारी प्रमाण पत्र दिनांकित 14.12.1966

उभय पक्षकारान् की बहस अन्तिम सुनी गई।

विद्वान अभिभाषक वादीगण ने मौखिक व दस्तावेजी साक्ष्यो पर न्यायालय का ध्यान केन्द्रित करते हुए तर्क प्रस्तुत किया कि वादीगण की मौखिक व दस्तावेजी साक्ष्यो के आधार पर वादी का दावा साबित है, इत्यादि तर्को के आधार पर वादी का दावा बहक वादी विरूद्ध प्रतिवादीगण डिक्री किये जाने हेतु निवेदन किया।

विद्वान अभिभाषक प्रतिवादी संख्या 1 व 2 ने विद्वान अभिभाषक वादीगण के तर्को का पुरजोर विरोध करते हुए तर्क प्रस्तुत किया कि वादीगण की मौखिक व दस्तावेजी साक्ष्य से वादीगण का दावा साबित नहीं है, इत्यादि तर्को के आधार पर वादीगण का दावा खारिज करने का निवेदन किया।

हमने बहस पर चिन्तन, मनन व विचार किया। पत्रावली का गहनता से अवलोकन व अध्ययन किया तो पाया गया कि प्रदर्श-6 जमाबन्दी संवत् 2069-2072 के खाता संख्या नया 1252 पुराना 1132 में राजस्व ग्राम पुर, पटवार हल्का पुर-प्रथम, भू0अ0 निरीक्षक क्षेत्र पुर, तहसील व जिला भीलवाड़ा की सरहद में स्थित आराजी खसरा नम्बर 1599 व 1600 कुल किता 2 कुल रकबा 0.2529 हैक्टेयर की खातेदारी नीलकंठ महादेवजी गणेश जी स्थान (देवस्थान) गोपी पिता लोभा जाति माली सा0 देह खड़मदार हिस्सा पूर्ण सा0 देह खातेदार दर्ज रिकार्ड है। प्रदर्श-6 माननीय राजस्व मण्डल राजस्थान, अजमेर की खण्डपीठ द्वारा अपील डिक्री/टीए/2380/2008 चुन्नीलाल वगैरह बनाम राज0. सरकार व अन्य में इसी विवादित भूमि के संबंध में निर्णय पारित फरमाया गया कि-

"पत्रावली पर उपलब्ध जमाबन्दी सम्वत् 2049-52 के अवलोकन से स्पष्ट है है कि विवादित आराजी साबिक खसरा नम्बर 4383 व 4384 (नवीन खसरा नम्बर 199 व 1600) मूर्ति

सहायक कलक्टर
भीलवाड़ा

मंदिर नीलकंठ महादेवजी गणेश जी खातेदारी में दर्ज है तथा गोपी पि0 लोभा माली खड़मदार दर्ज है। पत्रावली पर उपलब्ध अन्य दस्तावेजात में भी श्री नीलकंठ महादेवजी गणेश जी विवादित आराजी के खातेदार दर्ज है तथा गोपी पुत्र लोभा खड़मदार दर्ज है। राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 15 के अनुसार खडमदार उसी हालत में भूमि का खातेदार बनेगा जबकि अधिनियम प्रभावशील होने के पहले से विवादित भूमि उसकी टीनेन्सी में थी। लेकिन राजस्व अभिलेख में जहां मूर्ति मंदिर एवं दोनो का नाम अंकित है वहां खडमदार को कोई अधिकार प्राप्त नहीं होगे। कानून माल मेवाड़ 1947 की धारा 38 के अनुसार जब जमीन व्यक्तिगत रूप में खडमदार की है तब उसको उत्तराधिकार व बेचने का पूरा अधिकार है लेकिन मन्दिर मूर्ति के खडमदार को यह अधिकार नहीं है। इस प्रकार विधिक स्थिति स्पष्ट है कि मूर्ति मन्दिर के खडमदार को व्यक्तिगत खातेदारी अधिकार प्राप्त नहीं हो सकते है। राजस्व मण्डल की वृहदपीठ द्वारा पारित संदर्भित निर्णय से भी यह स्पष्ट है कि मूर्ति मंदिर के खडमदार को मूर्ति मन्दिर की भूमि में खातेदारी अधिकार प्राप्त नहीं हो सकते है। अतः हमारी राय में अपीलाण्ट्स द्वारा प्रस्तुत हस्तगत द्वितीय अपील खारिज किये जाने योग्य है।

परिणामस्वरूप अपीलाण्ट्स द्वारा प्रस्तुत यह द्वितीय अपील खारिज की जाती है तथा अधीनस्थ अपीलीय न्यायालय भू प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी, भीलवाड़ा एवं उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहाय कलक्टर भीलवाड़ा द्वारा पारित निर्णय एवं डिक्री क्रमश 21.02.2008 एवं 25.11.2004 यथावत् रखे जाते है।''

पत्रावली पर मौजूद दस्तावेजी साक्ष्य प्रदर्श-6 एवं प्रदर्श-7 के आधार पर विवादित भूमि पर प्रतिवादी संख्या 1 व 2 का भौतिक कब्जा कत्तई अवैध है जो अतिक्रमी की हैसियत से विवादित भूमि पर काबिज चले आ रहे है और अतिक्रमी की हैसियत से विवादित भूमि का उपयोग व उपभोग करते आ रहे है। कानूनन अतिक्रमी को विवादित सम्पत्ति पर एक सैकिण्ड भी अपने अतिचार को कायम रखने का कोई विधिक अधिकार प्राप्त नहीं है। अतएव वादीगण का दावा बहक वादीगण विरूद्ध प्रतिवादी संख्या 1 व 2 डिक्री किये जाने की विधिक एवं न्यायिक मंशा है।

परिणामस्वरूप वादीगण का दावा बहक वादीगण विरूद्ध प्रतिवादीगण बाबत् बेदखली अन्तर्गत धारा 183 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 स्वीकार किया जाकर डिक्री किया जाता है तथा राजस्व ग्राम पुर, तहसील व जिला भीलवाड़ा में स्थित नवीन बन्दोबश्त आराजी खसरा संख्या 1599 व 1600 पर प्रतिवादी संख्या 1 व 2 को अतिक्रमी घोषित किया जाता है। उक्त भूमि पर प्रतिवादी संख्या 1 व 2 अतिक्रमी की हैसियत से काबिज

सहायक कलेक्टर
भीलवाड़ा

होकर काश्त करते हुए उपयोग उपभोग करते चले आ रहे है, जिन्हें बेदखल किये जाने के आदेश प्रदान किये जाते है तथा उक्त भूमि का कब्जा वादी संख्या 1 के ट्रस्टी/अध्यक्ष व तत्कालीन सचिव हाल ट्रस्टी वादी संख्या 2 व 3 को सिपुर्द किये जाने के आदेश प्रदान किये जाते है।

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, भीलवाड़ा पदेन सहायक कलक्टर, भीलवाड़ा द्वारा प्रकरण संख्या 190/2002 में पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 25.11.2004 के पश्चात निरन्तर आज दिनांक तक अतिक्रमी की हैसियत से काबिज रहकर विवादित भूमि पर काश्त करके उपयोग व उपभोग करता आ रहा है जबकि प्रतिवादी संख्या 1 व 2 को ऐसा अधिकार प्राप्त नहीं था। ऐसी स्थिति में विवादित भूमि के लगान का 15 गुणा राशि बतौर शास्ति वादीगण को दिनांक 25.11.2004 से आज तक का भुगतान करने हेतु प्रतिवादी संख्या 1 व 2 को आदेशित किया जाता है। प्रतिवादी संख्या 1 व 2 शास्ति की राशि वादी संख्या 2 ट्रस्ट कोष में जरिये रसीद जमा करावे।

पक्षकारान् खर्चा अपना-अपना वहन करे। डिक्री पर्चा जारी हो।

निर्णय आज दिनांक 02/11/2026 को सरे इजलास में सुनाया गया।

02/11/2026

अरूण कुमार जैन
सहायक कलक्टर
(आर.ए.एस.)
भीलवाड़ा

सहायक कलक्टर भीलवाड़ा

डिक्री मुकदमा इब्तदाई

(ओ0 20 रूल 6-7 जाप्ता दीवानी)

न्यायालय सहायक कलक्टर, भीलवाड़ा

पीठासीन अधिकारीः- अरूण कुमार जैन (आर.ए.एस.)

राजस्व मूल वाद संख्या :-59/2022

जीसीएमएस नम्बर :- 16109/2022

1. नीलकंठ महादेव वाके ग्राम पुर तहसील व जिला भीलवाड़ा।
2. श्री गणेश जी वाके ग्राम कचहरी पुर तहसील व जिला भीलवाड़ा जरिये प्रतिनिधि-
3. श्री नीलकंठ महादेव एवम् गणेशजी सार्वजनिक ट्रस्ट द्वारा अध्यक्ष मुरलीधर पिता कन्हैयालाल व्यास उम्र वयस्क निवासी बस स्टेण्ड के पास पुर तहसील व जिला भीलवाडा।
4. प्रहलादराय पिता रामचंद्र पारीक उम्र वयस्क निवासी हॉस्पीटल रोड़ पुर तहसील व जिला भीलवाड़ा (तत्कालीन सचिव हाल ट्रस्टी)

----वादीगण

-: बनाम :-

1. चुन्नीलाल पिता गोपीलाल माली उम्र वयस्क निवासी वार्ड नं0 36 पुर तहसील व जिला भीलवाड़ा।
2. जगदीश पिता नन्दराम माली उम्र वयस्क निवासी वार्ड नं0 36 पुर तहसील व जिला भीलवाड़ा।
3. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार भीलवाड़ा।

----प्रतिवादीगण

वाद अंतर्गत धारा 183 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

यह मुकदमा आज वास्ते इनफिसाल कत्तई रूबरू दावा व हाजिरी ------- मिनजानिब मुद्धई रूबरू ---------- मिनजानिब

22/01/2024

सहायक कलक्टर
भीलवाड़ा

[illegible] पेश होकर हुक्म दिया जाता है व डिक्री दी जाती है

निर्णय में विवेचनानुसार वादीगण का दावा बहक वादीगण विरुद्ध प्रतिवादीगण बाबत् बेदखली अन्तर्गत धारा 183 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 स्वीकार किया जाकर डिक्री किया जाता है तथा राजस्व ग्राम पुर, तहसील व जिला भीलवाड़ा में स्थित नवीन बन्दोबश्त आराजी खसरा संख्या 1599 व 1600 पर प्रतिवादी संख्या 1 व 2 को अतिक्रमी घोषित किया जाता है। उक्त भूमि पर प्रतिवादी संख्या 1 व 2 अतिक्रमी की हैसियत से काबिज होकर काश्त करते हुए उपयोग उपभोग करते चले आ रहे है, जिन्हें बेदखल किये जाने के आदेश प्रदान किये जाते है तथा उक्त भूमि का कब्जा वादी संख्या 1 के ट्रस्टी/अध्यक्ष व तत्कालीन सचिव हाल ट्रस्टी वादी संख्या 2 व 3 को सिपुर्द किये जाने के आदेश प्रदान किये जाते है।

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, भीलवाड़ा पदेन सहायक कलक्टर, भीलवाड़ा द्वारा प्रकरण संख्या 190/2002 में पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 25.11.2004 के पश्चात निरन्तर आज दिनांक तक अतिक्रमी की हैसियत से काबिज रहकर विवादित भूमि पर काश्त करके उपयोग व उपभोग करता आ रहा है जबकि प्रतिवादी संख्या 1 व 2 को ऐसा अधिकार प्राप्त नहीं था। ऐसी स्थिति में विवादित भूमि के लगान का 15 गुणा राशि बतौर शास्ति वादीगण को दिनांक 25.11.2004 से आज तक का भुगतान करने हेतु प्रतिवादी संख्या 1 व 2 को आदेशित किया जाता है। प्रतिवादी संख्या 1 व 2 शास्ति की राशि वादी संख्या 2 ट्रस्ट कोष में जरिये रसीद जमा करावे।

पक्षकारान् खर्चा अपना-अपना वहन करे।

निज------ मुबलिग-------- बाबत् ------- खर्चा इस मुकदमा के मय सूद बशरह------फीसदी सालाना/आज की तारीख से तारीख अदागी तक ---------- को अदा करे।

तब मेरे दस्तखत मुहर अदालत के आज दिनांक [illegible] को जारी की गई।

अरुण कुमार जैन
[illegible]
सहायक कलक्टर, भीलवाड़ा

मुद्दई	रूपया	पैसे	मुद्दायलह	रूपया	पैसा
स्टाम्प अर्जीदावा			स्टाम्प अर्जीदावा		
स्टाम्प वकालतनामा			स्टाम्प वकालतनामा		
स्टाम्प वजह सबूत			स्टाम्प वजह सबूत		
महनताना वकील			महनताना वकील		
खर्चा गवाहान			खर्चा गवाहान		
फीस कमिशनर बाबत् इजराय			फीस कमिशनर बाबत् इजराय		
हुक्मनामा			हुक्मनामा		
मुतफरिक			मुतफरिक		
मीजान			मीजान		

02/1/2026

अरूण कुमार जैन

(आर.ए.एस.)

सहायक कलक्टर

भीलवाड़ा

सहायक कलक्टर, भीलवाड़ा